(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1749–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील घटिया जिला उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2012–13

मेसर्स एलांस डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स
व्दारा भागीदार संजय पुत्र प्रेमचन्द बाफना
भरत पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल, चेतन पुत्र
सीताराम गुप्ता निवासी फ्रीगंज उज्जैन ––– आवेदक

विरूद्ध

उज्जैन चेरिटेवल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर
बुधवारिया उज्जैन इकाई आर.डी.गार्गी चिकित्सा
महाविद्यालय आगर रोड सुरासा उज्जैन
व्दारा ट्रस्टी व सचिव डॉ. विजय महाडिक
पुत्र खंडेरावजी, निवासी 50 क्षीरसागर
कालोनी उज्जैन मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(श्री के.के.द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक – अनावेदक)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 01–10– 2015 को पारित)

तहसीलदार, तहसील घटिया जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–13/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 6–7–2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक व्दारा तहसीलदार घटिया के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 16.10.12 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम

सुरासा उज्जैन में आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 292, 296, 297 है जिसमें मेडीकल कॉलेज स्थापित किया गया है । आवेदक व्दारा अपनी भूमि पर प्लाट काटकर कालोनी बनाई जा रही है एंव आवेदक ने अनावेदक की भूमि पर जाने का रास्ता बंद कर दिया है जबकि कई वर्षो से निरन्तर आवागमन उसी भूमि से किया जाता है इस रास्ते का आसपास के लोग एंव कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी उपयोग करते आ रहे हैं। आवेदक ने दीवार बनाकर पानी निकासी का मार्ग भी बंद कर दिया है इसलिये रास्ता खुलवाया जावे। तहसीलदार, तहसील घटिया जिला उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2012-13 पंजीबद्व किया एंव स्थल जांच कर उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 6-7-13 पारित किया तथा धारा 113 के आवेदन के अंतिम निराकरण होने तक विवादित भूमि पर से कृषि कार्य हेतु उपकरण लाने - ले जाने हेतु अनावेदक का रास्ता अवरूद्व न किये जाने के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा बताया गया कि निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अभिलेख के आधार पर विचार कर निगरानी का निराकरण किया जावे।

4/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2012-13 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों से ज्ञात है कि विवादित रास्ते की भूमि का तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के साथ जाकर स्थल निरीक्षण किया है । तद्नुसार ग्राम सुरासा के आर.डी.गार्गी हॉस्पिटल की भूमि सर्वे नंबर 296 के रास्ता के स्थल निरीक्षण के समय उभय पक्ष उपस्थित रहे हैं । इस सर्वे नंबर की भूमि पर जाने हेतु सर्वे नंबर 292 एंव 297 से होकर आना-जाना पाया गया है। सर्वे नंबर 292 एंव 293 के दक्षिण की ओर चलते हुये

सर्वे नंबर 297/1 पर से चलकर 297/2 से होते हुये सर्वे नंबर 296 की पूर्वी उत्तरी मेढ़ पर पहुंचा जाना पाया गया है तथा सर्वे नंबर 297/1 एंव 297/2 की उत्तरी मेढ़ पर आवेदक व्दारा बाउन्ड्रीवाल बनाकर उसके उपर पतरे लगाकर रास्ता अवरूद्ध किया गया है जो पंचनामे से भी स्पष्ट है और इन्हीं कारणों से स्थानीय व्यक्तियों को आवागमन में असुविधा उत्पन्न न हो, तहसीलदार घटिया ने प्रकरण क्रमांक 01/ अ-13/2012-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-7-2013 से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अस्थाई रूप से रास्ता अवरूद्ध न किये जाने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। वैसे भी आवेदक को तहसीलदार के समक्ष बचाव प्रस्तुत करने एंव लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार घटिया जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 6-7-2013 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार घटिया को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारों की सुनवाई कर तीन माह के भीतर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर